न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
24 / 2024	13 / 06 / 2024	19 / 12 / 2025

1–राजकरन्ता बाई पत्नि राधेश्याम आयु 40 वर्ष जाति मीणा निवासी विद्या कॉलोनी कोटा रोड बांरा

2– मोनिका पुत्री राधेश्याम आयु 22 वर्ष जाति मीणा निवासी विद्या कॉलोनी कोटा रोड बांरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1– राधेश्याम आत्मज कजोड जी जाति मीणा

2– चेतन आत्मज राधेश्याम जी जाति मीणा

3– भूपेन्द्र आत्मज राधेश्याम जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– श्री विकास पारेता एड0।

अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल बंसल एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 144 सी.पी.सी.

–:: निर्णय::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर.टी. एक्ट. पर माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा द्वारा प्रकरण संख्या 44 / 20 तारीख फैसला / निर्णय / डिक्री दि० 20.1.2023 पारित किया गया कि ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा न0 145 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा न0 160 रकबा 1.22 हैक्टर, खसरा न0 19 रकबा 2.01 है0, खसरा न0 212 रकबा 0.79 है०, खसरा न0 22 रकबा 1.54 है०, खसरा न० 352 रकबा 1.48 है०, खसरा न० 372 रकबा 0.03 है०, ख0न0 38 रकबा 0.66 है० कुल खसरे 8 कुल रकबा 8.07 हैक्टर भूमि स्थित है। जो जमाबंन्दी सवत् 2074–77 माल ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा में प्रतिवादी क्रम 1 राधेश्याम पुत्र कजोड हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा इटावा दर्ज रिकॉर्ड है का विभाजन अप्रार्थी क्रम 1,2,3 के मध्य किया जाकर दिनांक 20.01.2023 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। दि० 20.01.2023 के निर्णय व डिक्री की पालना में राधेश्याम का सम्पूर्ण खाते का विभाजन किया जाकर अप्रार्थी क्र 1,2,3 के माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रथक खाता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा में उक्त निर्णय / डिक्री दिनांक 20.01.2023 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 2023 / 126 पेश कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने दिनांक 15.04.2024 को निर्णय पारित करते हुए माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 44 / 2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2023 को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2024 को पारित निर्णय से माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा का निर्णय / डिक्री दिनांक 20.01.2023 दोष पूर्ण हो चुकी है। इस निर्णय / डिक्री की पालना में अप्रार्थी क्रम 1,2,3 राधेश्याम, चेतन, भूपेन्द्र के पक्ष

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 852 दिनांक 11.05.2023 भी अवैध व महत्वहीन है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल होगी और न्यायालय इटावा के निर्णय के बाद स्वीकृत नामान्तरण संख्या 852/दिनांक 11.05.2023 निरस्तनीय है और दिनांक 20.01.2023 से पूर्व की स्थिती प्रत्यास्थापित किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निम्न कथन प्रस्तुत किये गये– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 राजस्व अभिलेख से संबंधित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 आंशिक होने से बलपूर्वक स्वीकार नही है। माननीय न्यायलय द्वारा पारित निर्णय की प्रार्थी द्वारा की गई अपील पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा दिनाँक 15/04/2024 को प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। जिससे व्यथित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। (क्रमांक 3393/2024) जिसमे आगामी पेशी दिनांक 07.11.2025 नियत है। जो एडमिट होकर प्रार्थीगण को नोटिस जारी हो चुके है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3, 4, 5 आधारहीन एवम् विधिक प्रावधानो के परे होने बलपूर्वक स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र खारिज कियें जाने योग्य है। विशेष विवरण अवलोकनीय है।

प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष बहस सूनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के बहस के दौरान कथन किया कि विचारण न्यायालय के आदेश और डिक्री दिनांक 20.01.2023 को अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.04.2024 द्वारा निरस्त की जा चुकी है परंतु विचारण न्यायालय द्वारा दिये निर्णय और डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में हुए अंकन से रेस्पोंडेट द्वारा प्रार्थी के हितो के विरूद्व लाभ लिया गया व लिया जा रहा है अतः पूर्व की स्थिति बहाल करना न्यायोहित में अत्यंन्त आवश्यक है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट मूल दावे में पक्षकार नही थे। राजस्व अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.04.2024 की अपील राजस्व बोर्ड में की जा चुकी है तथा एडमिट भी की जा चुकी है इसलिय रेस्टीट्यूसन नही किया जा सकता।

उभयपक्ष बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। धारा 144 सी0पी0सी0 का अवलोकन इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है:–

" (1) जहाँ की और जहाँ तक डिक्री या आदेश किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में भिन्न या उलट दी जाती है या डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के उद्देश्य के लिये स्थापित किसी भी मुकदमे में अलग कर दी जाती है या संशोधित की जाती है या आदेश पुनर्स्थापन के माध्यम से या अन्यथा किसी भी लाभ के हकदार किसी भी पक्ष के आवेदन पर, ऐसा पुनर्स्थापन कराएगा जिससे, जहाँ तक हो सके, पार्टियों को उस स्थिति में रखा जा सके जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश या उसका वह भाग जिसमे फेरफार किया गया है या जिसे उल्टा गया है या अपास्त किया गया है या उपांतरित किया गया है, न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अंतर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिये एवं ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर तथा अंतःकालीन लाभों के संदाय के लिये आदेश होंगे, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने, आपस्त करने या उपांतरण के उचित रूप में पारिणामिक है।

(2) कोई भी वाद ऐसा कोई प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा जो उपधारा (1) के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता था। "

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

पत्रावली में दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा, कोटा का निर्णय 20.01.2023 को न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी, कोटा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय राजस्व अपीलीय न्यायालय, कोटा के निर्णय दिनांक 15.04.2024 के पेरा कमांक 11 का अवलोकन आवश्यक है जो कि निम्नलिखित उद्धरण के रूप में है:– पैरा संख्या 11 के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 44/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2023 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को प्रकरण में पक्षकार कायम करें तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नवीन निर्णय पारित करें।

प्रतिस्थापन/पुनर्स्थापन के लिए निम्न शर्ते पूर्ण होना आवश्यक है–1

1. प्रत्यास्थापन की मांग उस डिक्री या आदेश के संबंध में होनी चाहिये जिसे बदल या उलट दिया गया था।
2. प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी को उलटे डिक्री या आदेश के तहत लाभ पाने का हकदार होना चाहिये।
3. दावा की गई राहत डिक्री या आदेश उलटने या बदलाव के लिए उचित रूप से पारिणामिक होनी चाहिये।

इसलिये विधिक प्रावधान धारा 144 सी0पी0सी0 के तहत उपबंधित शर्ते पूर्ण होती है–

1. डिक्री या आदेश किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में भिन्न या उलट (variation or reversion) दी जाती है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 15.04.2024 से न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2023 को निरस्त कर दिया है तथा प्रत्यास्थापन की मांग इसी के संबंध में की गई है।

2. प्रार्थी उलटे डिक्री व आदेश के तहत लाभ पाने के हकदार है क्योकि वाद को रिमांड इसी आधार पर किया गया है कि अपीलांटगण/प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार शामिल करे तथा सुनवाई का अवसर दे। इसके अतिरिक्त वाद प्रथम दृष्टया पिता की सम्पति में सहदायिकी अधिकारों के निर्धारण का प्रतीत होता है जिसका निर्णयन विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष साक्ष्य लेखबद्व कर किया जा सकेगा।
3. प्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख के डिक्री व आदेश की इजराय से पूर्व की स्थिति में लाने संबंधी राहत मांगी गई है जो कि उलटे गये निर्णय व डिक्री के लिए उचित रूप से पारिणामिक है।

चुंकी विचारण न्यायालय की डिक्री की पालना होना प्रार्थी ने प्रा0पत्र में अंकित किया है जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा नही किया गया है। विचारण न्यायालय मूल दावा बंटवारे तथा इन्द्राज दुरूस्ती का था जिसमें वादी के पक्ष में डिक्री पारित की गई व बंटवारा कर दिया गया। अपीलांट को वाद में पक्षकार नही बनाये जाने के कारण राजस्व अपील अधिकारी ,कोटा द्वारा ट्रायल कोर्ट की निर्णय व डिक्री निरस्त कर सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का मौका देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। इसलिए अप्रार्थी का यह तर्क स्वीकार नही है कि अपीलांट मूल वाद में पक्षकार नही थे। मूलवाद में पक्षकार नही होने से उत्पन्न स्थितियों के कारण ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के अनुरूप मामला रिमांड किया गया। अप्रार्थी काय यह तर्क भी सारहीन है कि मूलवाद के डिक्री

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

द्वारा अधिकार तय नही किये गये थे। विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से स्पष्ट है कि तीनों पक्षकारों, भूपेन्द्र, चेतन पुत्रान राधेश्याम तथा राधेश्याम पुत्र कजोड के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा कर दिया गया था तथा अनुतोष प्राप्त हो गया था। पिता राधेश्यात ने तीनों पुत्रो द्वारा प्रस्तुत वाद में इकवालिया जवाब देकर सहमति पूर्ण बंटवारा करवा लिया था परंतु अपीलांट पुत्रियों राजकरन्ता व मोनिका को वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया। इससे यह सिद्व है कि पुत्रियों (अपीलांट) विचारण न्यायालय के डिक्री से हुए राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन से अलाभ प्रद स्थिति में तथा रेस्पोडेंट निश्चित रूप से लाभकारी स्थिति में थे। राजस्व अभिलेख जो वर्तमान में है उसके आधार पर रेस्पोडेंट विवादित भूमि को व्ययन, भारग्रस्त या खुर्द–बुर्द कर सकते है जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल निर्णय व डिक्री varied and reversed हो चुकी है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए कुंडाप्पाई बनाम एम. नायारायण नायर, 1962 में Restitution प्रा0पत्र के लिमिटेशन एक्ट के तहत अवधि बाधित का बिंदु निहित था अतः परिस्थितियॉ व तथ्य भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होती है तथा अप्रार्थी प्रस्तुत नजीर के आधार पर किसी लाभ का हकदार नही है। राजस्व बोर्ड द्वारा अपील एडमिट करने के आधार पर Restitution नही करने का कोई विधिक आधार नही होने के कारण तर्क स्वीकार योग्य नही है। पुनर्स्थापन संबंधी महत्वपूर्ण एवं लैडमार्क न्यायालयी दृष्टांतो का निम्नलिखित नजीर अवलोकनीय हैः–

1. ***बिनायक स्वैन बनाम रमेश चंद्र पाणिग्रही और अन्य (1966):–***

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि डिक्री के उलटने या संशोधित होने पर प्रत्यास्थापन की बाध्यता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है और गलत डिक्री के तहत जो कुछ भी किया गया है, उसकी प्रत्यास्थापन का अधिकार आवश्यक रूप से उसमे सम्मिलित होता है। प्रत्यास्थापन करने में न्यायालय पक्षकारों को बहाल करने के लिये बाध्य है, जहाँ तक उन्हें उसी स्थिति में बहाल किया जा सकता है, जिस समय वे उस समय थे जब न्यायालय ने अपनी गलत कार्रवाई से उन्हें विस्थापित कर दिया था।

2. ***साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एम.पी. राज्य एवं अन्य (2003):–***

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्युत्पत्ति संबंधी अर्थों में ष्पुनर्स्थापनष शब्द का अर्थ समझाया, जिसका अर्थ है किसी डिक्री अथवा आदेश के संशोधन, परिवर्तन पर उस पक्ष को बहाल करना, जिस पक्ष की हानि, न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में अथवा किसी डिक्री या आदेश के प्रत्यक्ष परिणाम में हुई है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 144 के अलावा भी, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिये प्रत्यास्थापन का आदेश देना उसके पास अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है।

3. ***चिन्नमल और अन्य बनाम अरुमुघम और अन्य (1990):–***

इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जो व्यक्ति डिक्री के खिलाफ लंबित अपील की जानकारी के साथ न्यायालय नीलामी में संपत्ति खरीदता है, वह प्रत्यास्थापन का विरोध नहीं कर सकता है। यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिये कि सिविल प्रक्रिया संहिता न्याय की सुविधा के लिये डिजाइन किया गया प्रक्रियात्मक कानून का एक निकाय है और इसे दंड तथा जुर्माने का प्रावधान करने वाले अधिनियम के रूप में नहीं माना जाना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

उक्त विवेचन तथा परिस्थितियों के प्रकाश में प्रार्थना पत्र धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार करने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा द्वारा जारी निर्णय व डिकी दिनांक 20.01.2023 से राजस्व अभिलेख में हुए परिवर्तनों को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
[illegible]